



Govt. Ghanshyam Singh Gupt P.G. College

Balod, Dist.- Balod (C.G.)

One Week

Faculty Development Programme

Date - 19 feb. to 24 feb. 2024

Organised by

Law Department

Collaboration With

Internal Quality Assurance Cell

बढ़ती साहित्यिक चोरियों को रोकने के लिए उचित व कुशल प्रबंधन जरूरी

कॉलेज में फैकल्टी प्रोग्राम के अंतिम दिन शोध पत्र के बारे में दी जानकारी

भास्करन्यूज़ | बालोद

शासकीय घनश्याम सिंह गुप्त स्नातकोत्तर कॉलेज में विधि विभाग ने आभाषी मोड में साप्ताहिक फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम पर कार्यशाला रखी। अंतिम दिन के मुख्य वक्ता डॉ. आशीष कुमार श्रीवास्तव ने उच्चतर शैक्षिक संस्थानों में बढ़ती साहित्यिक चोरियों को रोकने उचित एवं कुशल प्रबंधन की आवश्यकता विषय पर चर्चा की। तथ्यात्मक आंकड़ों को शामिल करते हुए वर्तमान समसामयिक परिदृश्य को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया और समस्या व इसके निदान दोनों पर चर्चा करते हुए मार्गदर्शन दिया।

उन्होंने कॉपीराइट एक्ट पर भी चर्चा करते हुए बताया कि साहित्यिक

चोरियों का आवरण हटाते हुए आप किन-किन व्यवहारिक तकनीकों का प्रयोग कर एक प्रभावी लेख तैयार कर सकते हैं, जिससे साहित्यिक चोरियों के लॉन्चन से बचा भी जा सके। एक प्रभावी और आकर्षक कृति भी तैयार की जा सके। उन्होंने भाषा के नवसोपान पर भी चर्चा करते हुए उसे सहज, सरल और सरस बनाने के उपाय बताए। मुख्य अतिथि डॉ. पीके नायक ने बताया कि किन-किन स्थितियों में आपके शोध पत्र स्वीकार और अस्वीकार किए जा सकते हैं। शोध पत्र प्रस्तुत करते समय किन-किन बातों को ध्यान में रखा जाना आवश्यक है। उसका प्रारूप कैसा हो। एक व्यापक और आकर्षक शोध पत्र किस प्रकार तैयार किया जा सकता है।

कार्यशाला शोधार्थियों के लिए उपयोगी साबित होगी

डॉ. जेके पटेल ने स्वागत प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। कार्यक्रम के संयोजक डॉ. राघवेश पांडेय ने कहा कि फैकल्टी प्रोग्राम उम्मीद की नई किरण बनकर उभरेगा और सफलता के नए आयाम गढ़ेगा। सभी प्रतिभागियों और शोधार्थियों की जिज्ञासाओं का उचित समाधान हो गया होगा। प्राचार्य डॉ. जेके खल्लो ने कार्यक्रम को ऐतिहासिक बताया। डॉ. सीडी मानिकपुरी ने कहा कि बेहतर मार्गदर्शन की तलाश कर रहे शोधार्थियों के लिए यह कार्यशाला उपयोगी सिद्ध होगी। स्वाति वैष्णव ने कहा कि कार्यशाला से मिला ज्ञान शोध का नवसोपान साबित होगा।

घनश्याम सिंह कॉलेज में फैकल्टी डेवलपमेंट पर हुई कार्यशाला

कार्यशाला में शोधार्थियों ने सीखा शोधपत्र कैसे करें प्रस्तुत

हरिद्वारी न्यूज बालोद

राजस्थानीय घनश्याम सिंह गुप्त स्नातकोत्तर महाविद्यालय बालोद में विधि विभाग द्वारा आभाषी मोड में साप्ताहिक फैकल्टी डेवलपमेंट

■ देश भर के विधि विशेषज्ञों ने रखे अपने विचार



प्रोग्राम की कार्यशाला आयोजित की गई थी। यह कार्यशाला 19 फरवरी से प्रारंभ हुई थी, जिसका समापन 24 फरवरी को हुआ।

कार्यशाला के अंतिम दिन के मुख्य वक्ता सहायक प्राध्यापक विधि विभाग लखनऊ विश्वविद्यालय डॉ. आशीष कुमार श्रीवास्तव एवं समापन समारोह के

मुख्य अतिथि वाइस चांसलर आईसेक्ट युनिवर्सिटी हजारीबाग डॉक्टर पोंक नाथक थे।

डॉक्टर आशीष कुमार अंशु ने उच्चतर शैक्षिक संस्थानों में बढ़ती साहित्यिक चोरियों को रोकने उचित एवं कुशल प्रबंधन की आवश्यकता विषय पर विस्तृत चर्चा की। प्रो. श्रीवास्तव ने अपनी

चर्चा में तथ्यात्मक आंकड़ों को शामिल करते हुए वर्तमान समसामयिक परिदृश्य की प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया और समस्या तथा इसके निदान दोनों पर चर्चा करते हुए उचित मार्गदर्शन दिया। उन्होंने कौन्सिलर एक्ट पर भी विस्तार से चर्चा की। उन्होंने भाषा के नवसोपान पर भी चर्चा करते हुए

उसे सहज, सरल और सरस बनाने के उपायों पर भी मार्गदर्शन प्रदान किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉ. नाथक ने बताया कि किन-किन स्थितियों में आपके शोध पत्र स्वीकार और अस्वीकार किये जा सकते हैं। शोध पत्र प्रस्तुत करते समय किन किन बातों को ध्यान में रख जाना आवश्यक है, उसका प्रारूप कैसा हो और एक व्यापक और आकर्षक शोध पत्र किस प्रकार तैयार किया जा सकता है।

कार्यक्रम के संयोजक डॉ. राघवेश पांडेय ने कहा कि निश्चित तौर पर यह सात दिवसीय फैकल्टी प्रोग्राम उम्मीद की नई किरण बनकर उभरेगा और सफलता के नवे अवसर गढ़ेगा। मैं समझता हूँ कि इस

कार्यशाला के माध्यम से कार्यक्रम में भाग ले रहे सभी प्रतिभागियों और शोधार्थियों की जिज्ञासाओं का उचित समाधान हो गया होगा और इस कार्यक्रम से प्राप्त मूल्यवान जानकारीयों उनके बेहतर भविष्य को गढ़ने में उपयोगी साबित होगी। प्राचार्य डॉ. जेके खलको, डॉ. सोडी. मानिकपुरी ने भी प्रतिभागियों का मार्गदर्शन किया।

विधि विभाग की सहायक प्राध्यापिका स्वाति वैष्णव ने कहा कि कार्यशाला से मिला ज्ञान शोध का नवसोपान साबित होगी और यह शोधार्थियों के ज्ञान को एक नई ऊँचाईयां देगी। कार्यक्रम संयोजक राघवेश पांडेय ने आभार ज्ञापित किया।

बौद्धिक संपदा का ज्ञान सभी के लिए है ज़रूरी : डॉ. मोना पुरोहित

■ फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम का शानदार पांचवा दिन

बालोद/रुद्रपथ

शासकीय घनश्याम सिंह गुप्त स्नातकोत्तर महाविद्यालय बालोद में विधि विभाग द्वारा एक सप्ताह का फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम आभाषी मोड में 19/02/2024 से प्रारंभ हुआ। आज दिनांक 23/02/2024 को कार्यक्रम का पांचवा दिन था, जिसमें मुख्य वक्ता प्रोफेसर (डॉक्टर) मोना पुरोहित (संकायाध्यक्ष एवं विभागाध्यक्ष विधि विभाग बरकतउल्ला विश्वविद्यालय) थी। उन्होंने बौद्धिक संपदा अधिकार के उभरते आयाम विषय पर विस्तृत व्याख्यान दिया। प्रो. मोना पुरोहित ने अपने व्याख्यान में कहा कि, बौद्धिक संपदा वर्तमान समय का बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, उन्होंने बौद्धिक संपदा अधिकार को बहुत ही आसान



एवं सरल शब्दों में समझाते हुए इसके उभरते बिंदुओं को विस्तार से बताया। उन्होंने कॉपीराइट एक्ट, पेटेंट एक्ट, ट्रेडमार्क एक्ट, ज्योग्राफीकल इंडिकेशन एक्ट पर भी विस्तार से अपने वक्तव्य रखें। उन्होंने शोधार्थियों और प्रतिभागियों से आह्वान किया कि, बौद्धिक संपदा का ज्ञान शोध की प्रासंगिकता को गति देता है। अतः बौद्धिक संपदा का ज्ञान सभी शोधार्थियों के लिए

बेहद आवश्यक है। डॉ. पुरोहित द्वारा सभी प्रतिभागियों के प्रश्नों का संतोषजनक उत्तर दिया गया। इस कार्यक्रम के संयोजक डॉ. राघवेश पांडेय ने अपने गुरु का स्वागत करते हुए कहा कि, बौद्धिक संपदा अधिकार का ज्ञान सभी के लिए बेहद ज़रूरी है, साथ ही इस व्याख्यान का लाभ निश्चित ही सभी को मिलेगा। मुख्य वक्ता का स्वागत विधि विभाग की सहायक प्राध्यापिका श्रीमति स्वाति वैष्णव ने किया। अंत में आभार प्रदर्शन डॉ. जे.के. पटेल ने किया। इस अवसर पर आयोजन समिति के सदस्य प्रो. सी. डी. मानिकपुरी, अतिथि प्राध्यापक पूनम चंद्र गुप्ता एवं सुब्रत मंडल उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन सुश्री पूजा ठाकुर द्वारा बहुत ही आदर्श रूप में किया गया। इस अवसर पर सभी प्रतिभागियों ने ऑनलाइन व्याख्यान का लाभ उठाया।

बौद्धिक संपदा का ज्ञान सभी के लिए है ज़रूरी - डॉ. मोना पुरोहित.

बालोद (नांदगांव टाइम्स) । शासकीय घनश्याम सिंह गुप्त स्नातकोत्तर महाविद्यालय बालोद में विधि विभाग द्वारा एक सप्ताह का फैकल्टी



डेवलपमेंट प्रोग्राम आभाषी मोड में दिनांक 19/02/2024 से प्रारंभ हुआ। आज दिनांक 23/02/2024 को कार्यक्रम का पांचवा दिन था, जिसमें मुख्य वक्ता प्रोफेसर (डॉक्टर) मोना पुरोहित (संकायाध्यक्ष एवं विभागाध्यक्ष विधि विभाग बरकतउल्ला विश्वविद्यालय) थी। उन्होंने बौद्धिक संपदा अधिकार के उभरते आयाम विषय पर विस्तृत व्याख्यान दिया। प्रो. मोना पुरोहित ने अपने व्याख्यान में कहा कि, बौद्धिक संपदा वर्तमान समय का बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, उन्होंने बौद्धिक संपदा अधिकार को बहुत ही आसान एवं सरल शब्दों में समझाते हुए इसके उभरते बिंदुओं को विस्तार से बताया। उन्होंने कॉपीराइट एक्ट, पेटेंट एक्ट, ट्रेडमार्क एक्ट, ज्योग्राफीकल इंडिकेशन एक्ट पर भी विस्तार से अपने वक्तव्य रखें। उन्होंने शोधार्थियों और प्रतिभागियों से आह्वान किया कि, बौद्धिक संपदा का ज्ञान शोध की प्रासंगिकता को गति देता है। अतः बौद्धिक संपदा का ज्ञान सभी शोधार्थियों के लिए बेहद आवश्यक है। डॉ. पुरोहित द्वारा सभी प्रतिभागियों के प्रश्नों का संतोषजनक उत्तर दिया गया। इस कार्यक्रम के संयोजक डॉ. राघवेश पांडेय ने अपने गुरु का स्वागत करते हुए कहा कि, बौद्धिक संपदा अधिकार का ज्ञान सभी के लिए बेहद ज़रूरी है, साथ ही इस व्याख्यान का लाभ निश्चित ही सभी को मिलेगा। मुख्य वक्ता का स्वागत विधि विभाग की सहायक प्राध्यापिका श्रीमति स्वाति वैष्णव ने किया। अंत में आभार प्रदर्शन डॉ. जे.के. पटेल ने किया। इस अवसर पर आयोजन समिति के सदस्य प्रो. सी. डी. मानिकपुरी, अतिथि प्राध्यापक श्री पूनम चंद्र गुप्ता एवं श्री सुब्रत मंडल उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन सुश्री पूजा ठाकुर द्वारा बहुत ही आदर्श रूप में किया गया। इस अवसर पर सभी प्रतिभागियों ने ऑनलाइन व्याख्यान का लाभ उठाया।

भिलाई-रायपुर, शनिवार, 24 फरवरी, 2024 | 19

देश की प्रगति के लिए लैंगिक समानता जरूरी: डॉ. शशिकांत फैक्ट्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम, विशेषज्ञों ने किया संबोधित

भास्कर न्यूज | बालोद

समाज के दृष्टिकोण को बदलने में सहायक होंगी

शासकीय घनश्याम सिंह गुप्त स्नातकोत्तर कॉलेज बालोद के विधि विभाग एवं आईक्यूएसी के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित वन वीक फैक्ट्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम के चौथे दिन मुख्य वक्ता के रूप में डॉ. शशिकांत त्रिपाठी, एसोसिएट प्रोफेसर छत्रपति साहू महाराज कानपुर विश्वविद्यालय एवं अटल बिहारी वाजपेयी स्कूल ऑफ लीगल स्टडीज थे। उन्होंने लैंगिक संवेदीकरण विषय पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने अपने सारगर्भित उद्बोधन में कहा कि, भारत में नारियों की पूजा की जाती है, हमारे धर्म शास्त्रों में भी इसका उल्लेख देखने को मिलता है। लेकिन व्यवहारिक रूप से देखा जाये तो समाज में ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारा प्रयास यही होना चाहिए कि हम मानव समाज में बदलाव कैसे लाएं कि समाज भी नारी और पुरुष को एक समान दृष्टि से देखने लगे।

बताया गया कि वही समाज संसार में प्रगति कर सकता है, जो लैंगिक समानता को प्राथमिकता देता है। किन्तु विडंबना है कि आज भी लैंगिक भेदभाव जारी है, इसलिए हम सभी को इस मुद्दे पर बात करने की आवश्यकता पड़ रही है, वरना अगर यह प्रचलन में नहीं होता तो इस विषय में बात करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। आज महिलाएं हवाई जहाज

व्याख्यान के पूर्व कार्यक्रम के संयोजक एवं विधि विभाग के विभागाध्यक्ष डॉ. राघवेश पांडे ने कार्यक्रम को महत्वकांक्षी बताते हुए कहा कि निश्चित ही आज का विषय समाज के दृष्टिकोण को बदलने में सहायक होंगी और देश के विकास और प्रगति को नया आयाम देगी। लैंगिक असमानता की ज्वलंत समस्या है, और इसे सामाजिक जागरूकता से ही दूर किया जा सकता है। अतिथि प्राध्यापक पूनमचंद गुप्ता ने व्याख्यान से पूर्व अतिथि और मुख्य वक्ता डॉ. शशिकांत त्रिपाठी का परिचय कराया। कार्यक्रम का सफल संचालन पूजा ठाकुर ने किया। आभार प्रदर्शन सुब्रत मंडल अतिथि प्राध्यापक ने किया। इस अवसर पर प्रो. सीडी मानिकपुरी, प्रो. स्वाति वैष्णव, सह संयोजक डॉ. जैनंद्र कुमार पटेल, सहायक प्राध्यापक, पूनमचंद गुप्ता उपस्थित थे।

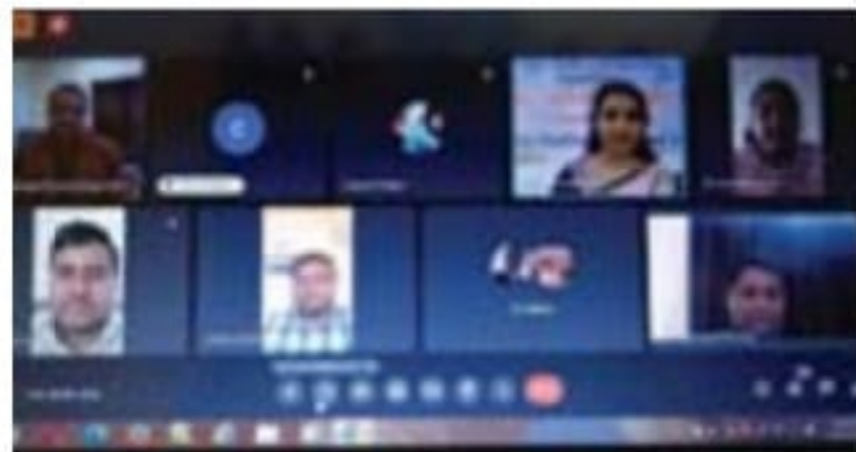
उड़ा रही है, बड़े-बड़े जहाज चला रही है, लड़ाकू विमान उड़ा रही हैं, डॉक्टर हैं, टीचर हैं, नर्स हैं प्रत्येक क्षेत्र में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इसलिए पुरानी दकियानूसी मान्यताओं को तोड़ते हुए महिलाओं को आगे बढ़ने का अवसर देने की जरूरत है, ताकि अपना खुद का मुकाम बना सके।

देश की प्रगति के लिए लैंगिक समानता जरूरी : डॉ. शशिकांत त्रिपाठी

▶ लोकमाया न्यूज ।

बालोद। शासकीय घनश्याम सिंह गुप्त स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बालोद के विधि विभाग एवं आईक्यूएसी के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित वन वीक फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम के चौथे दिन, मुख्य वक्ता के रूप में डॉ. शशिकांत त्रिपाठी, एसोसिएट प्रोफेसर छत्रपति शाहू जी महाराज कानपुर विश्व विद्यालय एवं अटल बिहारी वाजपेई स्कूल ऑफ लीगल स्टडीज थे।

उन्होंने लैंगिक संवेदीकरण विषय पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने अपने सारगर्भित उद्बोधन में कहा कि, भारत में नारियों की पूजा की जाती है, हमारे धर्म शास्त्रों में भी इसका उगेख देखने को मिलता है, लेकिन व्यवहारिक रूप से देखा जाये तो समाज में ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारा प्रयास यही होना चाहिए कि, हम मानव समाज में बदलाव कैसे लाएं कि,



समाज भी नारी और पुरुष को एक समान दृष्टि से देखने लगे। वही समाज संसार में प्रगति कर सकता है, जो लैंगिक समानता को प्राथमिकता देता है, किन्तु विडंबना है कि, आज भी लैंगिक भेदभाव जारी है, इसलिए हम सभी को इस मुद्दे पर बात करने की आवश्यकता पड़ रही है, वरना अगर यह प्रचलन में नहीं होता तो इस विषय में बात करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। आज महिलाएं हवाई जहाज उड़ा रही हैं, बड़े-बड़े जहाज चला रही हैं, लड़ाकू विमान उड़ा रही हैं, डॉक्टर हैं, टीचर हैं, नर्स हैं, प्रत्येक क्षेत्र में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं।

देश की प्रगति के लिए लैंगिक समानता जरूरी - डॉ. शशिकांत त्रिपाठी

बालोद (नांदगांव टाइम्स)। शासकीय घनश्याम सिंह गुप्त स्नातकोत्तर महाविद्यालय बालोद के विधि विभाग एवं आईक्यूएसी के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित वन वीक फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम के चौथे दिन, मुख्य वक्ता के रूप में डॉ. शशिकांत त्रिपाठी, एसोसिएट प्रोफेसर छत्रपति शाहू जी महाराज कानपुर विश्वविद्यालय एवं अटल बिहारी वाजपेई स्कूल ऑफ लीगल स्टडीज थे। उन्होंने लैंगिक संवेदीकरण विषय पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने अपने सारगर्भित उद्घोषण में कहा कि, भारत में नारियों की पूजा की जाती है, हमारे धर्म शास्त्रों में भी इसका उल्लेख देखने को मिलता है। लेकिन व्यवहारिक रूप से देखा जाये तो समाज में ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारा प्रयास यही होना चाहिए कि, हम मानव समाज में बदलाव कैसे लाएं कि, समाज भी नारी और पुरुष को एक समान दृष्टि से देखने लगे। वही समाज संसार में प्रगति कर सकता है, जो लैंगिक समानता को

प्राथमिकता देता है। किन्तु विडंबना है कि, आज भी लैंगिक भेदभाव जारी है इसलिए हम सभी को इस मुद्दे पर बात करने की आवश्यकता पड़ रही है, वरना अगर यह प्रचलन में नहीं होता तो इस विषय में बात करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। आज महिलाएं हवाई जहाज उड़ा रही हैं, बड़े - बड़े जहाज चला रही हैं, लड़ाकू विमान उड़ा रही हैं, डॉक्टर हैं, टीचर हैं, नर्स हैं प्रत्येक क्षेत्र में अपनी



महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। इसलिए आज पुरानी दिक य। सुनी मान्यताओं को तोड़ते हुए महिलाओं को आगे बढ़ने का अवसर देने की ज़रूरत है, ताकि वह नई ऊंचाइयों में पहुंचकर अपना खुद का मुकाम बना सके। व्याख्यान के पूर्व कार्यक्रम के संयोजक एवं विधि विभाग के विभागाध्यक्ष डॉ. राघवेश पांडे जी ने उक्त कार्यक्रम को

महत्त्वकांक्षी बताते हुए कहा कि, निश्चित ही आज का विषय, समाज के दृष्टिकोण को बदलने में सहायक होंगी और देश के विकास और प्रगति को नया आयाम देगी। लैंगिक असमानता आज की ज्वलंत समस्या है, और इसे समाजिक जागरूकता से ही दूर किया जा सकता है। महाविद्यालय के अतिथि प्राध्यापक श्री पूनम चंद गुप्ता ने व्याख्यान से पूर्व, आज के अतिथि और मुख्य वक्ता डॉ. शशिकांत त्रिपाठी का परिचय कराया। कार्यक्रम का सफल संचालन सुश्री पूजा ठाकुर ने किया और आभार प्रदर्शन श्री सुब्रत मण्डल अतिथि प्राध्यापक ने किया। इस अवसर पर आयोजन समिति के सदस्य प्रो. सी.डी. मानिकपुरी, प्रो. स्वाति वैष्णव सहायक प्राध्यापक विधि, कार्यक्रम के सह संयोजक डॉ. जैनेंद्र कुमार पटेल सहायक प्राध्यापक विधि एवं कार्यक्रम संचालन समिति के सदस्य श्री पूनम चंद गुप्ता ने सक्रिय रूप से अपनी भागीदारी सुनिश्चित की।

ऑनलाइन विवाद निपटारा विधि मिल का पत्थर होंगी साबित : डॉ. राज संधू

लोक किरण/ बीडु ठाकुर

बालोद। शासकीय घनश्याम सिंह गुप्त स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बालोद के विधि विभाग एवं आईक्यूएसी के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित वन वीक फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम के तृतीय दिवस में मुख्य वक्ता के रूप में डॉ. राज संधू जम्मू विश्वविद्यालय जम्मू रहे। उन्होंने ऑनलाइन विवाद निपटारा विधि पर विस्तार से चर्चा की और बताया कि, यह विषय भारत में नया जरूर है, किंतु इस विधि से न्याय बहुत आसानी से और कम खर्च में त्वरित गति से प्राप्त किया जा सकता है। उन्होंने आगे यह भी कहा कि, वर्तमान समय में ऑनलाइन विवादित निपटारे से संबंधित कोई स्पेसिफिक विधि नहीं है, किंतु उन्होंने इससे संबंधित भारत में वर्तमान में जितनी भी विधियां हैं,



उन सभी के प्रावधानों का विस्तार से उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि, ऑनलाइन विवाद निपटारा विधि अनुकल्पीय विवाद निपटारा विधि का ही एक भाग है, और कोविड-19 के समय हमारे देश के न्यायालयों ने ऑनलाइन विधि से ही विवादों का निपटारा किया था।

अतः इस सिस्टम को आगे बढ़ाने की आज जरूरत है। जिससे आम जनता को आसान एवं सुलभ तरीके से सस्ता एवं त्वरित न्याय प्राप्त हो सके। उन्होंने इससे संबंधित विधि मध्यस्थ एवं सुलह अधिनियम 1996 भारतीय साक्ष्य अधिनियम एवं सूचना प्रौद्योगिकी

अधिनियम 2000, डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 के बारे में भी प्रतिभागियों को अवगत कराकर उपरोक्त विषय में सारगर्भित प्रकाश डाला। उन्होंने प्रतिभागियों द्वारा पूछे गए प्रश्नों का भी संतोषजनक ढंग से जवाब दिया।

कार्यक्रम में स्वागत भाषण प्रो. जीएन खरे विभागाध्यक्ष भूगोल विभाग एवं आभार प्रदर्शन डॉ. जेके पटेल सहायक प्राध्यापक विधि विभाग द्वारा किया गया। इस अवसर पर कार्यक्रम के संयोजक एवं विधि विभाग के विभागाध्यक्ष डॉ. राघवेश पांडेय ने इस कार्यक्रम

को प्रतिभागियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण बताया तथा उन्होंने बताया कि, ऑनलाइन विवाद निपटारा विधि आज के वर्तमान समय की आवश्यकता है, जिससे आम नागरिक को आसानी से सुलभ एवं त्वरित न्याय प्राप्त हो सके। कार्यक्रम का संचालन पूजा ठाकुर अतिथि प्राध्यापक द्वारा किया गया। इस अवसर पर आयोजन समिति के सदस्य प्रो. सीडी मानिकपुरी, प्रो. स्वाति वैष्णव सहायक प्राध्यापक विधि, कार्यक्रम के सह-संयोजक डॉ. जैनंद्र कुमार सहायक प्राध्यापक विधि एवं कार्यक्रम संचालन समिति के सदस्य पूनम चंद गुप्ता, सुब्रत मंडल अतिथि प्रध्यापक ने सक्रिय रूप से अपनी भागीदारी सुनिश्चित की। इस व्याख्यान का लाभ देश के विभिन्न विश्व विद्यालयों से जुड़े प्रतिभागियों को मिला।

फैकेल्टी प्रोग्राम से नवाचार को मिलता है बढ़ावा - डॉ. अरुणा पलटा

बालोद । शासकीय घनश्याम सिंह गुप्त स्नातकोत्तर महाविद्यालय बालोद में विधि विभाग द्वारा एक सप्ताह का फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम आभाषी मोड में 19 फरवरी से प्रारंभ हुआ। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हेमचंद यादव विश्वविद्यालय दुर्ग के कुलपति डॉ. अरुणा पलटा, विशिष्ट अतिथि कुलसचिव भूपेंद्र कुलदीप एवं आज के तकनीकी सेशन के मुख्य वक्ता दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रध्यापक डॉ. नरेश महिपाल थे, साथ ही कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉ. जे.के. खलखो प्राचार्य शासकीय घनश्याम सिंह गुप्त महाविद्यालय बालोद ने किया।

कार्यक्रम का शुभारम्भ करते हुए पहले दिन के इस आयोजन में मुख्य अतिथि डॉ. अरुणा पलटा ने इस कार्यक्रम की भूरी-भूरी प्रशंसा करते हुए, अपने शुभकामना संदेश में कहा कि, वर्तमान समय में शिक्षा के उत्तरोत्तर प्रगति के लिए फैकेल्टी डेवलपमेंट कार्यक्रम से शिक्षकों में एक नई ऊर्जा का संचार होता है और जब बहू विषयी विषयों पर इस प्रकार के कार्यक्रम होते हैं



0 शासकीय घनश्याम सिंह गुप्त महाविद्यालय में साप्ताहिक फैकेल्टी प्रोग्राम का चल रहा वर्चुअल आयोजन, आयोजन का आज पहला दिन

तब विभिन्न विषयों का ज्ञान भी होता है।

उन्होंने कहा कि, यह कार्यक्रम सफलता के नये आयाम गढ़ेगी। विशिष्ट अतिथि भूपेंद्र कुलदीप ने कहा कि, यह बड़े ही गौरव का क्षण है कि, हमारे सबसे बड़े महाविद्यालय में यह कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, इस कार्यक्रम के द्वारा शिक्षकों को एक नया आयाम मिलेगा और शिक्षकों के व्यक्तिगत विकास में भी यह उतना ही सहायक होगा।

आज के विषय विशेषज्ञ डॉ. नरेश महिपाल ने घरेलू हिंसा और न्यायिक सक्रियता पर विस्तृत

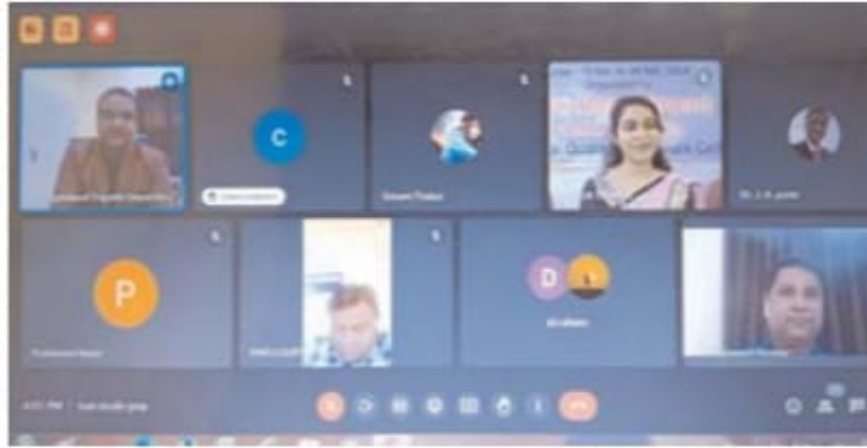
व्याख्यान दिया। उन्होंने घरेलू हिंसा विधि और न्यायपालिका के द्वारा दिए गए निर्णय को सारगर्भित रूप से बताया और प्रतिभागियों के प्रश्नों का उत्तर दिया, इस कार्यक्रम के संयोजक डॉ. राधवेश पांडे जी ने अपने स्वागत भाषण में अवगत कराया कि, यहां पहला अवसर है कि, विधि विभाग द्वारा फैकेल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम महाविद्यालय में आयोजित किया गया है।

इस अवसर पर कार्यक्रम का संचालन महाविद्यालय के विधि विभाग की प्राध्यापिका सुश्री पूजा ठाकुर द्वारा बहुत ही आदर्श रूप में किया गया।

देश की प्रगति के लिए लैंगिक समानता जरूरी-डॉ. शशिकांत त्रिपाठी

बालोद (दावा)। शासकीय घनश्याम सिंह गुप्त स्नातकोत्तर महाविद्यालय बालोद के विधि विभाग एवं आईक्यूएसी के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित वन वीक फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम के चौथे दिन, मुख्य वक्ता के रूप में डॉ. शशिकांत त्रिपाठी, एसोसिएट प्रोफेसर छत्रपति शाहू महाराज कानपुर विश्वविद्यालय एवं अटल बिहारी वाजपेई स्कूल ऑफ लीगल स्टडीज थे।

उन्होंने 'लैंगिक संवेदीकरण' विषय पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने अपने सारगर्भित उद्बोधन में कहा कि, भारत में नारियों की पूजा की जाती है, हमारे धर्मशास्त्रों में भी इसका उल्लेख देखने को मिलता है। लेकिन व्यवहारिक रूप से देखा जाये तो समाज में ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारा प्रयास यही होना चाहिए कि, हम मानव समाज में बदलाव कैसे लाएं कि, समाज भी नारी और पुरुष को एक समान दृष्टि से देखने लगे। वही समाज संसार में प्रगति कर सकता है, जो लैंगिक समानता को प्राथमिकता देता है। किन्तु विडंबना है कि, आज भी लैंगिक भेदभाव जारी है इसलिए हम सभी को इस मुद्दे



पर बात करने की आवश्यकता पड़ रही है, वरना अगर यह प्रचलन में नहीं होता तो इस विषय में बात करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। आज महिलाएं हवाई जहाज उड़ा रही हैं, बड़े-बड़े जहाज चला रही हैं, लड़ाकू विमान उड़ा रही हैं, डॉक्टर हैं, टीचर हैं, नर्स हैं प्रत्येक क्षेत्र में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। इसलिए आज पुरानी दकियासुनी मान्यताओं को तोड़ते हुए महिलाओं को आगे बढ़ने का अवसर देने की ज़रूरत है, ताकि वह नई ऊंचाइयों में पहुंचकर अपना खुद का मुकाम बना सकें। व्याख्यान के पूर्व कार्यक्रम के संयोजक एवं विधि विभाग के विभागाध्यक्ष डॉ. राघवेश पांडे

ने उक्त कार्यक्रम को महत्वाकांक्षी बताते हुए कहा कि, निश्चित ही आज का विषय, समाज के दृष्टिकोण को बदलने में सहायक होंगी और देश के विकास और प्रगति को नया आयाम देगी।

लैंगिक असमानता आज की ज्वलंत समस्या है, और इसे सामाजिक जागरूकता से ही दूर किया जा सकता है। महाविद्यालय

के अतिथि प्राध्यापक पूनम चंद गुप्ता ने व्याख्यान से पूर्व, आज के अतिथि और मुख्य वक्ता डॉ. शशिकांत त्रिपाठी का परिचय कराया। कार्यक्रम का सफल संचालन सुश्री पूजा ठाकुर ने किया और आभार प्रदर्शन सुब्रत मण्डल अतिथि प्राध्यापक ने किया। इस अवसर पर आयोजन समिति के सदस्य प्रो. सी.डी. मानिकपुरी, प्रो. स्वाति वैष्णव सहायक प्राध्यापक विधि, कार्यक्रम के सह संयोजक डॉ. जैनेंद्र कुमार पटेल सहायक प्राध्यापक विधि एवं कार्यक्रम संचालन समिति के सदस्य पूनम चंद गुप्ता ने सक्रिय रूप से अपनी भागीदारी सुनिश्चित की।

देश की प्रगति के लिए लैंगिक समानता ज़रूरी - डॉ. शशिकांत त्रिपाठी

ट्रैक सीजी न्यूज बालोद :-

शासकीय घनश्याम सिंह गुप्त स्नातकोत्तर महाविद्यालय बालोद के विधि विभाग एवं आईक्यूएसी के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित वन वीक फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम के चौथे दिन, मुख्य वक्ता के रूप में डॉ. शशिकांत त्रिपाठी, एसोसिएट प्रोफेसर छत्रपति शाहू जी महाराज कानपुर विश्वविद्यालय एवं अटल बिहारी वाजपेई स्कूल ऑफ लीगल स्टडीज थे। उन्होंने लैंगिक संवेदीकरण विषय पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने अपने सारगर्भित उद्धोषन में कहा कि, भारत में नारियों की पूजा की जाती है, हमारे धर्म शास्त्रों में भी इसका उल्लेख देखने को मिलता है। लेकिन व्यवहारिक रूप से देखा

जाये तो समाज में ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारा प्रयास यही होना चाहिए कि, हम मानव समाज में बदलाव कैसे लाएं कि, समाज भी नारी और पुरुष को एक समान दृष्टि से देखने लगे। वही समाज संसार में प्रगति कर सकता है, जो लैंगिक समानता को प्राथमिकता देता है। किन्तु विडंबना है कि, आज भी लैंगिक भेदभाव जारी है इसलिए हम सभी को इस मुद्दे पर बात करने की आवश्यकता पड़ रही है, वरना अगर यह प्रचलन में नहीं होता तो इस विषय में बात करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। आज महिलाएं हवाई जहाज उड़ा रही हैं, बड़े-बड़े जहाज चला रही हैं, लड़ाकू विमान उड़ा रही हैं, डॉक्टर हैं, टीचर हैं, नर्स हैं प्रत्येक



क्षेत्र में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इसलिए आज पुरानी दकियामुनी मान्यताओं को तोड़ते हुए महिलाओं को आगे बढ़ने का अवसर देने की ज़रूरत है, ताकि वह नई ऊंचाइयों में पहुंचकर अपना खुद का मुकाम बना सके। व्याख्यान के पूर्व कार्यक्रम के संयोजक एवं विधि विभाग के विभागाध्यक्ष डॉ. राघवेश पांडे जी ने उक्त कार्यक्रम को महत्त्वकांक्षी बताते हुए कहा कि, निश्चित ही आज का विषय, समाज के दृष्टिकोण को बदलने में सहायक होंगी और देश के विकास और प्रगति को नया आयाम देगी। लैंगिक असमानता आज की ज्वलंत समस्या है, और इसे समाजिक जागरूकता से ही दूर

किया जा सकता है। महाविद्यालय के अतिथि प्राध्यापक श्री पूनम चंद गुप्ता ने व्याख्यान से पूर्व, आज के अतिथि और मुख्य वक्ता डॉ. शशिकांत त्रिपाठी का परिचय कराया। कार्यक्रम का सफल संचालन सुश्री पूजा ठाकुर ने किया और आभार प्रदर्शन श्री सुब्रत मण्डल अतिथि प्राध्यापक ने किया। इस अवसर पर आयोजन समिति के सदस्य प्रो. सी.डी. मानिकपुरी, प्रो. स्वाति वैष्णव सहायक प्राध्यापक विधि, कार्यक्रम के सह संयोजक डॉ. जैनंद्र कुमार पटेल सहायक प्राध्यापक विधि एवं कार्यक्रम संचालन समिति के सदस्य श्री पूनम चंद गुप्ता ने सक्रिय रूप से अपनी भागीदारी सुनिश्चित की।

ऑनलाइन विवाद निपटारा विधि से कम खर्चे में त्वरित न्याय पा सकते हैं: राज संधु

बालोद के शासकीय कॉलेज में हुआ वन वीक फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम

भास्कर न्यूज | बालोद

शासकीय घनश्याम से गुप्त स्नातकोत्तर कॉलेज बालोद के विधि-विभाग एवं आईक्यूएसी के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित वन वीक फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम के तृतीय दिवस में मुख्य वक्ता जम्मू विश्वविद्यालय के डॉक्टर राज संधु रहे। उन्होंने ऑनलाइन विवाद निपटारा विधि पर चर्चा कर बताया कि यह विषय भारत में नया है किंतु इस विधि से न्याय बहुत आसानी से कम खर्चे में त्वरित गति से प्राप्त किया जा सकता है।

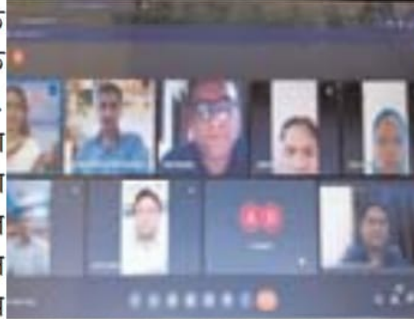
उन्होंने यह भी कहा कि वर्तमान में ऑनलाइन विवादित निपटारा से

संबंधित कोई स्पेसिफिक विधि नहीं है किंतु उन्होंने इससे संबंधित भारत में वर्तमान में जितनी विधियां हैं उन सभी के प्रावधानों का विस्तार से उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि ऑनलाइन विवाद निपटारा विधि अनुकल्पीय विवाद निपटारा विधि का ही भाग है और कोविड-19 के समय हमारे देश के न्यायालयों ने ऑनलाइन विधि से विवादों का निपटारा किया था। इस सिस्टम को आगे बढ़ाने की जरूरत है। जिसे आम जनता को आसान एवं सुलभ तरीके से सस्ता एवं त्वरित न्याय प्राप्त हो सके। उन्होंने इससे संबंधित विधि मध्यस्थ एवं सुलह अधिनियम 1996 भारतीय साक्ष्य अधिनियम एवं सूचना प्रौद्योगिकी

अधिनियम 2000, डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 के बारे में प्रतिभागियों को अवगत कराया। स्वागत भाषण प्रो. जीएन खरे एवं आभार प्रदर्शन डॉ. जेके पटेल ने किया। संयोजक एवं विधि विभाग के विभागाध्यक्ष डॉ. राघवेश पांडेय ने कहा कि ऑनलाइन विवाद निपटारा विधि आज के समय की आवश्यकता है। जिससे आम नागरिकों को आसानी से सुलभ एवं त्वरित न्याय प्राप्त हो सके। कार्यक्रम का संचालन पूजा ठाकुर ने किया। इस अवसर पर प्रो. सीडी मानिकपुरी, प्रो स्वाति वैष्णव, डॉ. जैनेंद्र कुमार, पूनमचंद गुप्ता, सुब्रत मंडल उपस्थित रहे।

ऑनलाइन विवाद निपटारा विधि मिल का पत्थर होंगी साबित - डॉ. राज संधू.

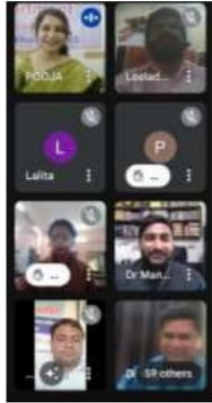
बालोद। शासकीय घनश्याम सिंह गुप्त स्नातकोत्तर महाविद्यालय बालोद के विधि विभाग एवं आईक्यूएसी के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित वन वीक फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम के तृतीय दिवस में मुख्य वक्ता के रूप में डॉ. राज संधू जम्मू विश्वविद्यालय जम्मू रहे। उन्होंने ऑनलाइन विवाद निपटारा विधि पर विस्तार से चर्चा की और बताया कि, यह विषय भारत में नया ज़रूर है किंतु इस विधि से न्याय बहुत आसानी से और कम खर्चे में त्वरित गति से प्राप्त किया जा सकता है। उन्होंने आगे यह भी कहा कि, वर्तमान समय में ऑनलाइन विवादित निपटारे से संबंधित कोई स्पेसिफिक विधि नहीं है, किंतु उन्होंने इससे संबंधित भारत में वर्तमान में जितनी भी विधियाँ हैं उन सभी के प्रावधानों का विस्तार से उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि, ऑनलाइन विवाद निपटारा विधि अनुकल्पीय विवाद निपटारा विधि का ही एक भाग है, और कोविड -19 के समय



हमारे देश के न्यायालयों ने ऑनलाइन विधि से ही विवादों का निपटारा किया था। अतः इस सिस्टम को आगे बढ़ाने की आज ज़रूरत है। जिससे आम जनता को आसान एवं सुलभ तरीके से सस्ता एवं त्वरित न्याय प्राप्त हो सके। उन्होंने इससे संबंधित विधि मध्यस्थ एवं सुलह अधिनियम 1996 भारतीय साक्ष्य अधिनियम एवं सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000, डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 के बारे में भी प्रतिभागियों को अवगत कराकर उपरोक्त विषय में सारगर्भित प्रकाश डाला। उन्होंने प्रतिभागियों द्वारा पूछे गए प्रश्नों का भी संतोषजनक ढंग से जवाब दिया। कार्यक्रम में स्वागत भाषण प्रो. जी.एन. खरे विभागाध्यक्ष भूगोल विभाग एवं आभार प्रदर्शन डॉ. जे.के. पटेल सहायक प्राध्यापक विधि विभाग द्वारा किया गया।

साइबर क्राइम आज की ज्वलंत समस्या – डॉ. मनोज मीणा

बालोद(पहट)। शासकीय घनश्याम सिंह गुप्त होना हैं, और साइबर सुरक्षा से सम्बंधित जानकारी न होना अपराध का मुख्य कारण है। साइबर अपराध को रोकने के लिए भारत में बनाए गए सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के बारे में भी विस्तृत जानकारीयाँ प्रदान की एवं डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 के विषय में भी प्रतिभागियों को बृहद एवं सारगर्भित जानकारी से अवगत कराया। उन्होंने प्रतिभागियों द्वारा पूछे गए प्रश्नों का भी संतोषजनक ढंग से उत्तर दिया। कार्यक्रम में स्वागत भाषण डॉक्टर एच.एल. मानकर विभागाध्यक्ष गणित विभाग एवं आभार प्रदर्शन विभागाध्यक्ष कम्प्यूटर विज्ञान विभाग द्वारा किया गया। इस अवसर पर कार्यक्रम



के संयोजक एवं विधि विभाग के विभागाध्यक्ष डॉ. राघवेश पांडेय जी ने इस कार्यक्रम को प्रतिभागियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बताया साथ ही उन्होंने कहा कि, साइबर अपराध को रोकने में साइबर विधि एवं उसका असर जगरूकता के रूप में लोगों तक पहुंचना चाहिए। कार्यक्रम का संचालन पूजा ठाकुर अतिथि प्राध्यापक द्वारा किया गया। इस अवसर पर आयोजन समिति के सदस्य प्रो. सी. डी. मानिकपुरी, कार्यक्रम के सह संयोजक डॉक्टर जैनेंद्र कुमार पटेल, सहायक प्राध्यापक विधि एवं कार्यक्रम संचालन समिति के सदस्य पूनम चंद गुप्ता, सुब्रत मंडल अतिथि प्राध्यापक ने सक्रिय रूप से अपनी भागीदारी सुनिश्चित की। इस व्याख्यान का लाभ देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों से जुड़े प्रतिभागियों को मिला।

अखबार नांदगांव भूमि

बुधवार 21 फरवरी 2024

घनश्याम सिंह गुप्त महाविद्यालय में विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाया गया



अखबार नांदगांव भूमि रिपोर्ट - राधेश्याम साहू
बालोद 21 फरवरी। विश्व सामाजिक न्याय दिवस 20 फरवरी 2024 को शासकीय घनश्याम सिंह गुप्त स्नातकोत्तर महाविद्यालय बालोद के विधि विभाग द्वारा आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉ.सी. डी. मानिकपुरी विशिष्ट अतिथि डॉ. आर. डी. साहू, विभागाध्यक्ष भौतिक शास्त्र एवं विभाग प्रमुख डॉ. राघवेश पांडेय थे। मुख्य अतिथि प्रो. मानिकपुरी ने कहा कि, सामाजिक न्याय वर्तमान समय में वैश्विक स्तर पर एक ज्वलंत मुद्दा बनकर उभरा है, जिसे विधि एवं समाज के आपसी सहयोग से ही हल किया जा सकता है। विशिष्ट अतिथि डॉक्टर साहू ने कहा कि, सामाजिक न्याय हमें आपसी भाईचारे से और समरूप दृष्टिकोण से प्राप्त किया जा सकता है। कार्यक्रम के अध्यक्ष डॉक्टर राघवेश पांडेय जी ने कहा कि, सामाजिक न्याय हमारे संविधान की प्रस्तावना में निहित है, तथा उसका विस्तार संविधान के भाग 3 एवं भाग चार में क्रमशः मूल अधिकारों एवं नीति निर्देशक

तत्वों के रूप में प्रावधानित है। इस अवसर पर विधि विभाग के सहायक प्राध्यापक डॉ.जैनेंद्र कुमार पटेल ने कहा कि, सामाजिक न्याय एक ज्वलंत मुद्दा ज़रूर है किन्तु, भारतीय परिप्रेक्ष्य में प्राचीन काल से हमारे धर्म ग्रंथों में सामाजिक न्याय में सन्निहित रहा है, जिसका प्रमाण आज भी दिखाई देता है। यह सही है कि, सामाजिक न्याय के लिए भारत में अनेको आंदोलन हुए हैं। इस अवसर पर विधि विभाग के प्राध्यापक पूनम चंद्र गुप्ता ने कहा कि, सामाजिक न्याय को हमारे संविधान के अनुच्छेद 17 में तथा संविधान द्वारा संरक्षित करने का प्रयास रहा है। विधि विभाग के प्राध्यापक सुब्रत मंडल द्वारा विश्व सामाजिक न्याय दिवस के बारे में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किए गए प्रयासों के संदर्भ में विस्तृत प्रकाश डाला गया। कार्यक्रम का आभार प्रदर्शन विधि के स्नातकोत्तर के छात्र प्रशांत पवार द्वारा किया गया। कार्यक्रम का संचालन सूश्री पूजा ठाकुर द्वारा किया गया। इस अवसर पर विधि विभाग के छात्र-छात्राएँ बड़ी संख्या में उपस्थित थे।

घनश्याम सिंह गुप्त महाविद्यालय में विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाया गया

बालोद। विश्व सामाजिक न्याय दिवस 20 फरवरी 2024 को शासकीय घनश्याम सिंह गुप्त स्नातकोत्तर महाविद्यालय बालोद के विधि विभाग द्वारा आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉ.सी. डी. मानिकपुरी विशिष्ट अतिथि डॉ. आर. डी. साहू, विभागाध्यक्ष भौतिक शास्त्र एवं विभाग प्रमुख डॉ. राघवेश पांडेय जी थे। मुख्य अतिथि प्रो. मानिकपुरी जी ने कहा कि, सामाजिक न्याय वर्तमान समय में वैश्विक स्तर पर एक ज्वलंत मुद्दा बनकर उभरा है, जिसे विधि एवं समाज के आपसी सहयोग से ही हल किया जा सकता है। विशिष्ट अतिथि डॉक्टर साहू ने कहा कि, सामाजिक न्याय हमें आपसी भाईचारे से और समरूप दृष्टिकोण से प्राप्त किया जा सकता है। कार्यक्रम के अध्यक्ष डॉक्टर राघवेश पांडेय जी ने कहा कि, सामाजिक न्याय हमारे संविधान की प्रस्तावना में निहित है, तथा उसका विस्तार संविधान के भाग 3 एवं भाग चार में क्रमशः मूल अधिकारों एवं नीति निर्देशक तत्वों के रूप में प्रावधानित है। इस अवसर पर विधि विभाग के सहायक प्राध्यापक डॉ.जैनेंद्र कुमार पटेल ने कहा कि, सामाजिक न्याय एक ज्वलंत मुद्दा जरूर है किन्तु, भारतीय परिप्रेक्ष्य में प्राचीन काल से हमारे धर्म ग्रंथों में सामाजिक न्याय में सन्नीहित रहा है, जिसका प्रमाण आज भी दिखाई देता है। यह सही है कि, सामाजिक न्याय के लिए भारत में अनेको आंदोलन हुए हैं। इस अवसर पर विधि विभाग के प्राध्यापक श्री पूनम चंद्र गुप्ता जी ने कहा कि, सामाजिक न्याय को हमारे संविधान के अनुच्छेद 17 में तथा संविधान द्वारा संरक्षित करने का प्रयास रहा है।

फैकल्टी डेवलपमेंट कार्यक्रम से एक नई ऊर्जा का संचार होता है: कुलपति

शासकीय स्नातकोत्तर कॉलेज बालोद में विधि विभाग ने किया आयोजन

भास्कर न्यूज | बालोद

शासकीय धनश्याम सिंह गुप्त स्नातकोत्तर कॉलेज बालोद में विधि विभाग द्वारा एक सप्ताह का फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम आभासी मोड में प्रारंभ हुआ। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हेमचंद्र यादव विश्वविद्यालय दुर्ग की कुलपति डॉ. अरुणा फलटा थीं। विशेष अतिथि कुलसचिव भूपेंद्र कुलदीप, प्राध्यापक डॉ. नरेश महिपाल थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्राध्यापक डॉ. जेके खलसो ने की। मुख्य अतिथि डॉ. अरुणा फलटा ने कहा कि वर्तमान समय में शिक्षा के उत्तरोत्तर प्रगति

के लिए शिक्षकों को फैकल्टी डेवलपमेंट कार्यक्रम से एक नई ऊर्जा का संचार होता है और जब वह विषयी विषयों पर इस प्रकार के कार्यक्रम होते हैं तब विभिन्न विषयों का ज्ञान होता है।

उन्होंने कहा कि यह कार्यक्रम सफलता के नए आयाम गढ़ेगा। विशेष अतिथि भूपेंद्र कुलदीप ने कहा कि यह गौरव का क्षण है कि हमारे सबसे बड़े कॉलेज में यह कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। इस कार्यक्रम के द्वारा शिक्षकों को एक नया आयाम प्राप्त होगा और शिक्षकों के व्यक्तिगत विकास में सहायक होगा। विषय विशेषज्ञ डॉ. नरेश महिपाल ने धरेलु हिंसा

और न्यायिक सक्रियता पर व्याख्यान दिया। इस दौरान उन्होंने धरेलु हिंसा विधि और न्यायप्रतिष्ठा के द्वारा दिए गए निर्णय को सारगर्भित रूप से बताया और प्रतिभागियों के प्रश्नों का उत्तर दिया। इस कार्यक्रम के संयोजक डॉ. राधवेश पांडे ने भी संबोधित किया। कार्यक्रम का संचालन पूजा ठाकुर व धन्यवाद ज्ञापन डॉक्टर एचएल मानकर ने किया। इस अवसर पर डॉक्टर दीपकरी राय, प्रो सीटी मानिकपुरी, प्रो एलके गवेल, डॉक्टर जैके गटेल, पूनमचंद गुप्ता, सुजित मंडल समेत कॉलेज के अन्य प्रोफेसर उपस्थित थे।



शासकीय घनश्याम सिंह गुप्त स्नातकोत्तर महाविद्यालय में हुआ कार्यक्रम

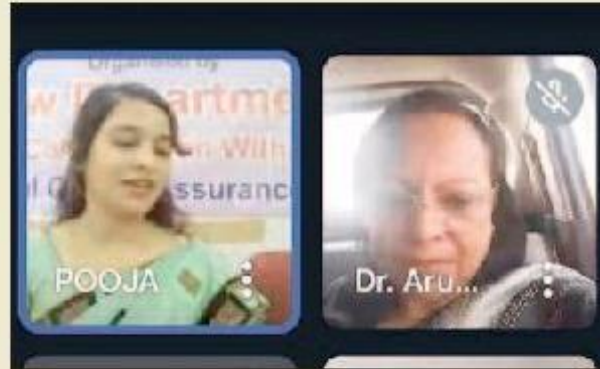
फैकेल्टी डेवलपमेंट कार्यक्रम से होता है शिक्षकों में नई ऊर्जा का संचार

हरिभूमि न्यूज ►► बालोद

शासकीय घनश्याम सिंह गुप्त स्नातकोत्तर महाविद्यालय बालोद में विधि विभाग द्वारा एक सप्ताह का फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम आभासी मोड में 19 फरवरी से प्रारंभ हुआ।

इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि हेमचंद्र यादव विश्वविद्यालय दुर्ग की कुलपति डॉ. अरुणा पलटा थीं, अध्यक्षता डॉ जेके. खलखो प्राचार्य ने की। विशिष्ट अतिथि कुल सचिव भूपेंद्र कुलदीप एवं तकनीकी सेशन के मुख्य वक्ता दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रध्यापक डा.नरेश महिपाल थे।

इस अवसर पर मुख्य अतिथि ने कहा कि वर्तमान समय में शिक्षा की उत्तरोत्तर प्रगति के



प्रतिभागियों की जिज्ञासाओं का किया समाधान

विषय विशेषज्ञ डॉ.नरेश महिपाल ने घरेलू हिंसा और न्यायिक सक्रियता पर विस्तृत व्याख्यान दिया। उन्होंने घरेलू हिंसा विधि और न्यायपालिका द्वारा दिए गए निर्णय को सारगर्भित रूप से बताया और प्रतिभागियों के प्रश्नों का उत्तर दिया। इस कार्यक्रम के संयोजक डॉ राधवेश पांडे ने अपने स्वागत भाषण में कहा कि यहां पहला अवसर है कि विधि विभाग द्वारा फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम महाविद्यालय में आयोजित किया गया है। कार्यक्रम का संचालन पूजा ठाकुर तथा आभार प्रदर्शन डॉक्टर एचएल मानकर और डॉक्टर दीपाली राव ने किया। इस अवसर पर प्रो सीडी मानिकपुरी, प्रो एलके गवेल, डॉक्टर जेके पटेल, पूनमचंद गुप्ता, सुबत मंडल प्राध्यापक उपस्थित थे।

लिए शिक्षकों में फैकल्टी डेवलपमेंट कार्यक्रम से एक नई ऊर्जा का संचार होता है। जब बहुविषयी विषयों पर इस प्रकार के कार्यक्रम होते हैं, तब विभिन्न विषयों का ज्ञान होता है।

उन्होंने कहा कि यह कार्यक्रम सफलता के नए आयाम गढ़ेगा। विशिष्ट अतिथि भूपेंद्र कुलदीप ने कहा कि यह गौरव का क्षण है कि हमारे सबसे बड़े महाविद्यालय में यह कार्यक्रम

आयोजित हो रहा है, इस कार्यक्रम के द्वारा शिक्षकों को एक नया आयाम प्राप्त होगा और यह शिक्षकों के व्यक्तिगत विकास में सहायक होगा।

फैकेल्टी प्रोग्राम से नवाचार को मिलता है बढ़ावा : डॉ. अरुणा पलटा

शासकीय घनश्याम सिंह गुप्त
महाविद्यालय में साप्ताहिक फैकेल्टी
प्रोग्राम का चल रहा आयोजन, आयोजन
का आज पहला दिन.

राजधानी रिपोर्टर

बालोद। शासकीय घनश्याम सिंह गुप्त स्नातकोत्तर महाविद्यालय बालोद में विधि विभाग द्वारा एक सप्ताह का फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम आभाषी मोड में दिनांक 19/02/2024 से प्रारंभ हुआ। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हेमचंद्र यादव विश्वविद्यालय दुर्ग के कुलपति डॉ. अरुणा पलटा, विशिष्ट अतिथि कुलसचिव श्री भूपेंद्र कुलदीप एवं आज के तकनीकी सेशन के मुख्य वक्ता दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रध्यापक डॉ. नरेश महिपाल थे, साथ ही कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉ. जे.के. खलखो प्राचार्य शासकीय घनश्याम सिंह गुप्त महाविद्यालय बालोद ने किया। कार्यक्रम का शुभारम्भ करते हुए पहले दिन के इस आयोजन में मुख्य



अतिथि डॉ. अरुणा पलटा ने इस कार्यक्रम की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए, अपने शुभकामना संदेश में कहा कि, वर्तमान समय में शिक्षा के उत्तरोत्तर प्रगति के लिए फैकेल्टी डेवलपमेंट कार्यक्रम से शिक्षकों में एक नई ऊर्जा का संचार होता है और जब बहु विषयी विषयों पर इस प्रकार के कार्यक्रम होते हैं तब विभिन्न विषयों का ज्ञान भी होता है। आगे उन्होंने कहा कि, यह कार्यक्रम सफलता के नये आयाम गढ़ेगी। विशिष्ट अतिथि श्री भूपेंद्र कुलदीप ने कहा कि, यह बड़े ही गौरव का क्षण

है कि, हमारे सबसे बड़े महाविद्यालय में यह कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, इस कार्यक्रम के द्वारा शिक्षकों को एक नया आयाम मिलेगा और शिक्षकों के व्यक्तिगत विकास में भी यह उतना ही सहायक होगा। आज के विषय विशेषज्ञ डॉ. नरेश महिपाल ने घरेलू हिंसा और न्यायिक सक्रियता पर विस्तृत व्याख्यान दिया। उन्होंने घरेलू हिंसा विधि और न्यायपालिका के द्वारा दिए गए निर्णय को सारगर्भित रूप से बताया और प्रतिभागियों के प्रश्नों का उत्तर दिया, इस कार्यक्रम के संयोजक डॉ. राधवेश पांडे जी ने अपने स्वागत भाषण में अवगत कराया कि, यहां पहला अवसर है कि, विधि विभाग द्वारा फैकेल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम महाविद्यालय में आयोजित किया गया है। इस अवसर पर कार्यक्रम का संचालन महाविद्यालय के विधि विभाग की प्राध्यापिका सुश्री पूजा ठाकुर द्वारा बहुत ही आदर्श रूप में किया गया।

शासकीय घनश्याम सिंह गुप्त महाविद्यालय में साप्ताहिक फैकेल्टी प्रोग्राम का चल रहा आयोजन, आयोजन का आज पहला दिन

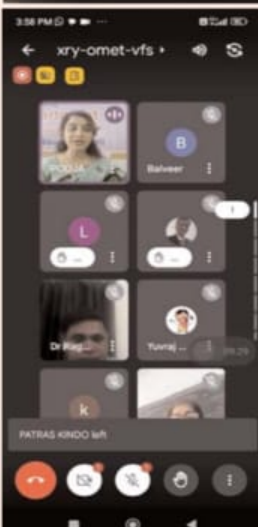
फैकेल्टी प्रोग्राम से नवाचार को मिलता है बढ़ावा - डॉ. अरुणा पलटा

अखबार नांदगांव भूमि रिपोर्ट - राधेश्याम साहू बालोद 20 फरवरी। शासकीय घनश्याम सिंह गुप्त स्नातकोत्तर महाविद्यालय बालोद में विधि विभाग द्वारा एक सप्ताह का फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम आभाषी मोड में दिनांक 19/02/2024 से प्रारंभ हुआ। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हेमचंद्र यादव विश्वविद्यालय दुर्ग के कुलपति डॉ. अरुणा पलटा, विशिष्ट अतिथि कुलसचिव श्री भूपेंद्र कुलदीप एवं आज के तकनीकी सेशन के मुख्य वक्ता दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रध्यापक डॉ. नरेश महिपाल थे, साथ ही कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉ. जे.के. खलखो प्राचार्य शासकीय घनश्याम सिंह गुप्त महाविद्यालय बालोद ने किया। कार्यक्रम का शुभारम्भ करते हुए पहले दिन के इस आयोजन में मुख्य अतिथि डॉ. अरुणा पलटा ने इस कार्यक्रम की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए, अपने शुभकामना संदेश में कहा कि, वर्तमान समय में शिक्षा के उत्तरोत्तर प्रगति के लिए फैकेल्टी डेवलपमेंट कार्यक्रम से शिक्षकों में एक नई ऊर्जा का संचार होता है और जब बहू विषयी विषयों पर इस प्रकार के कार्यक्रम होते हैं तब विभिन्न विषयों का ज्ञान भी होता है। आगे उन्होंने कहा कि, यह कार्यक्रम सफलता के नये आयाम गढ़ेगी। विशिष्ट अतिथि श्री भूपेंद्र कुलदीप ने कहा कि,

यह बड़े ही गौरव का क्षण है कि, हमारे सबसे बड़े महाविद्यालय में यह कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, इस कार्यक्रम के द्वारा शिक्षकों को एक नया आयाम मिलेगा और शिक्षकों के व्यक्तिगत विकास में भी यह उतना ही सहायक होगा। आज के विषय विशेषज्ञ डॉ. नरेश महिपाल ने घरेलू हिंसा और न्यायिक सक्रियता पर विस्तृत व्याख्यान दिया। उन्होंने घरेलू हिंसा विधि और न्यायपालिका के द्वारा दिए गए निर्णय को सारगर्भित रूप से बताया और प्रतिभागियों के प्रश्नों का उत्तर दिया, इस कार्यक्रम के संयोजक डॉ. राधवेश पांडे जी ने अपने स्वागत भाषण में अवगत कराया कि, यहां पहला अवसर है कि, विधि विभाग द्वारा फैकेल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम महाविद्यालय में आयोजित किया गया है। इस अवसर पर कार्यक्रम का संचालन महाविद्यालय के विधि विभाग की प्राध्यापिका सुश्री पूजा ठाकुर द्वारा बहुत ही आदर्श रूप में किया गया। अतिथियों का धन्यवाद ज्ञापन डॉ. एच. एल. मानकर द्वारा तथा रिसोर्स पर्सन का धन्यवाद ज्ञापन डॉ. दीपाली राव के द्वारा किया गया। इस अवसर पर प्रो. सी. डी. मानिकपुरी, प्रो. एल. के. गवेल, डॉ. जे. के. पटेल, पूनमचंद्र गुप्ता, सुब्रत मंडल आदि प्राध्यापक उपस्थित थे।

फैकेल्टी प्रोग्राम से नवाचार को मिलता है बढ़ावा - डॉ. अरुणा पलटा

शासकीय घनश्याम सिंह गुप्त महाविद्यालय में साप्ताहिक फैकेल्टी प्रोग्राम का चल रहा आयोजन, आयोजन का आज पहला दिन



ट्रैक सीजी न्यूज बालोद :- शासकीय घनश्याम सिंह गुप्त स्नातकोत्तर महाविद्यालय बालोद में विधि विभाग द्वारा एक सप्ताह का फैकेल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम आभाषी मोड में दिनांक 19/02/2024 से प्रारंभ हुआ। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हेमचंद्र यादव विश्वविद्यालय दुर्ग के कुलपति डॉ. अरुणा पलटा, विशिष्ट अतिथि कुलसचिव श्री भूपेंद्र कुलदीप एवं आज के तकनीकी सेशन के मुख्य वक्ता दिल्ली विश्वविद्यालय के प्राध्यापक डॉ. नरेश महिपाल थे, साथ ही

कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉ. जे.के. खलखो प्राचार्य शासकीय घनश्याम सिंह गुप्त महाविद्यालय बालोद ने किया। कार्यक्रम का शुभारम्भ करते हुए पहले दिन के इस आयोजन में मुख्य अतिथि डॉ. अरुणा पलटा ने इस कार्यक्रम की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए, अपने शुभकामना संदेश में कहा कि, वर्तमान समय में शिक्षा के उत्तरोत्तर प्रगति के लिए फैकेल्टी डेवलपमेंट कार्यक्रम से शिक्षकों में एक नई ऊर्जा का संचार होता है और जब बहु विषयी विषयों पर इस प्रकार के कार्यक्रम होते हैं तब विभिन्न विषयों का ज्ञान भी होता है। आगे उन्होंने कहा कि, यह कार्यक्रम सफलता के नये आयाम गढ़ेगी। विशिष्ट अतिथि श्री भूपेंद्र कुलदीप ने कहा कि, यह बड़े ही गौरव का क्षण है कि, हमारे सबसे बड़े महाविद्यालय में यह कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, इस कार्यक्रम के द्वारा शिक्षकों को एक नया आयाम मिलेगा और शिक्षकों के व्यक्तिगत विकास में भी यह उतना ही सहायक होगा। आज के विषय विशेषज्ञ डॉ. नरेश महिपाल ने घरेलू हिंसा और न्यायिक सक्रियता पर विस्तृत व्याख्यान दिया। उन्होंने घरेलू हिंसा विधि और न्यायपालिका के द्वारा दिए गए निर्णय को सारगर्भित रूप से बताया और प्रतिभागियों के प्रश्नों का उत्तर दिया, इस कार्यक्रम के संयोजक डॉ. राधवेश पांडे जी ने अपने स्वागत भाषण में अवगत कराया कि, यहां पहला अवसर है कि, विधि विभाग द्वारा फैकेल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम महाविद्यालय में आयोजित किया गया है। इस अवसर पर कार्यक्रम का संचालन महाविद्यालय के विधि विभाग की प्राध्यापिका सुश्री पूजा ठाकुर द्वारा बहुत ही आदर्श रूप में किया गया। अतिथियों का धन्यवाद ज्ञापन डॉ. एच. एल. मानकर द्वारा तथा रिसोर्स पर्सन का धन्यवाद ज्ञापन डॉ. दीपाली राव के द्वारा किया गया। इस अवसर पर प्रो. सी. डी. मानिकपुरी, प्रो. एल. के. गवेल, डॉ. जे. के. पटेल, पूनमचंद गुप्ता, सुब्रत मंडल आदि प्राध्यापक उपस्थित थे।

(3) WhatsApp x Meet - xry-omet-vfs

meet.google.com/xry-omet-vfs

New Tab Imported From IE

L Lalita Yadav

Dr. Aruna Palta VC, Hemchand Y...

P POOJA THAKUR

bhupendra kuldeep

D Deepali Rao

Dr. Jyotis kumar Khaikho

Dr. J. K. patel

74 others

Lalita Yadav has raised a hand Open queue

Turn off camera (ctrl + e)

2:20 PM | xry-omet-vfs

EN 2:20 PM 19/02/2024



E Series
VPCEG15EN | Intel® Core™ i3-2310M Processor 2.10 GHz
Windows® 7 Home Basic (64-bit)
Memory 2 GB / Hard Disk Drive 320 GB

ASSIST WEB VAIO

(3) WhatsApp

Meet - xry-omet-vfs

+

meet.google.com/xry-omet-vfs

New Tab Imported From IE

Balveer Singh

L

Dr. J. K. patel

Deepali Rao

PINTU GUPTA

Pooja Thakur

Yuvraj Khare

47 others

Raghvesh Pandey

3:59 PM | xry-omet-vfs

55

EN

3:59 PM
19/02/2024



Lalita Yadav



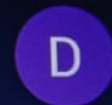
Pushpkant Mejar



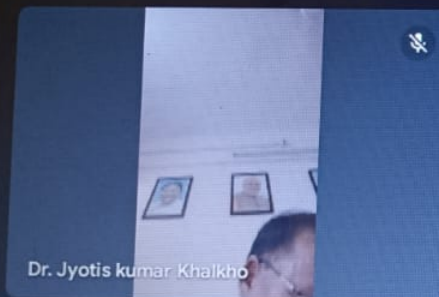
POOJA THAKUR



bhupendra kuldeep



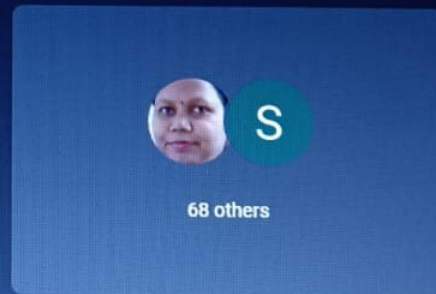
Deepali Rao



Dr. Jyotis kumar Khaikho



Dr. J. K. Patel



68 others

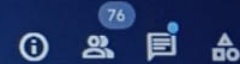


Dr. Raghvesh Pandey

Turn off camera (ctrl + e)



2:18 PM | xry-omet-vfs



POOJA THAKUR (Presenting)

Slide Show

Scope of the Act

- The High Court of Gujarat in *Bhartiben Bipinbhai Tamboli v. State of Gujarat and Ors.* (2018) remarked that-

The Domestic Violence in the country is rampant and several women encounter violence in some form or the other or almost every day.



L
Lalita Yadav

P
POOJA THAKUR

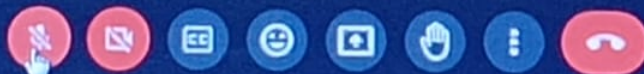
Adv. Apurva Mahabiya



74 others

D
Dr Raghvesh Pandey

PM | xry-omet-vfs



(3) WhatsApp x Meet - xry-omet-vfs

meet.google.com/xry-omet-vfs

New Tab Imported From IE

L Lalita Yadav

P Pushpkant Mejar

Organised by
Law Department
Collaboration With
National Quality Assurance

POOJA THAKUR

bhupendra kuldeep

D Deepali Rao

Dr. Jyotis kumar Khaikho

Dr. J. K. patel

Govt. Ghanshyam S
Faculty Devel
Date - 19
Law D
Colla
Internal Qu

S 68 others

Dr. Raghvesh Pandey

Turn off camera (ctrl + e)

2:18 PM | xry-omet-vfs

EN 76

2:18 PM 19/02/2024



E Series
VPCEQ15EN

Intel® Core™ i3-2310M Processor 2.10 GHz
Windows® 7 Home Basic (64-bit)
Memory 2 GB / Hard Disk Drive 320 GB
A-225-422-01



ADJUST WEB VAO



Imported From IE

P POOJA THAKUR (Presenting)

Design Transitions Animations Slide Show Record Review View Add-ins Help

Set Up Slide Show Hide Slide Rehearse Timings Record Play Narrations Show Media Controls Monitor Automatic Use Timings Use Presenter View

Scope of the Act

The High Court of Gujarat in *Bhartiben BipinBhai Tamboli v. State of Gujarat and Ors.* (2018) remarked that-

The Domestic Violence in the country is rampant and several women encounter violence in some form or the other or almost every day.

Dr. Naresh Mahipal DU

L
Lalita Yadav

P
POOJA THAKUR

Adv. Apurva Mahobliya

74 others

D
Dr Raghvesh Pandey

(3) WhatsApp x Meet - xry-omet-vfs

meet.google.com/xry-omet-vfs

New Tab Imported From IE

L Lalita Yadav

Dr. Aruna Palta VC, Hemchand Y...

POOJA THAKUR

bhupendra kuldeep

Deepali Rao

Dr. H.L. Man...

SUSHMA TIWARI

73 others

Dr. Sughwesh Pandey

2:24 PM | xry-omet-vfs

79

EN 2:24 PM 19/02/2024



E Series
VPCEG15EN

Intel® Core™ i3-2310M Processor 2.10 GHz
Windows® 7 Home Basic (64-bit)
Memory 2 GB / Hard Disk Drive 320 GB
4-288-485-61



Autosave OFF DV Act Presentation... Saved to this PC

File Home Insert Draw Design Transitions Animations Slide Show Record Review View Add-ins Help

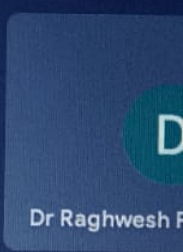
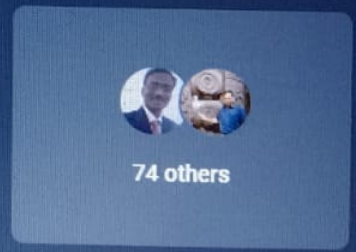
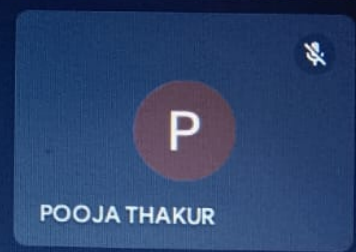
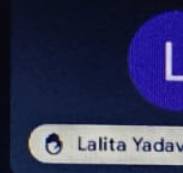
From Beginning From Current Slide Custom Slide Show Set Up Slide Show Hide Slide Rehearse Record Play Narrations Use Timings Show Media Controls Monitor: Automatic Use Presenter View

BACKUP THIS DOCUMENT Access this file anywhere with OneDrive included in your subscriptions Schedule Backup Later

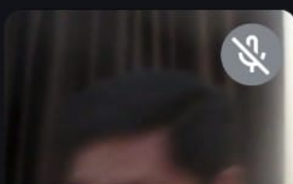
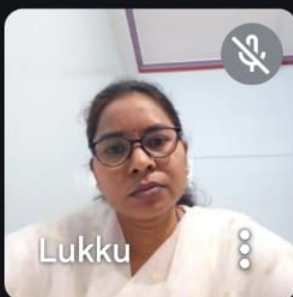
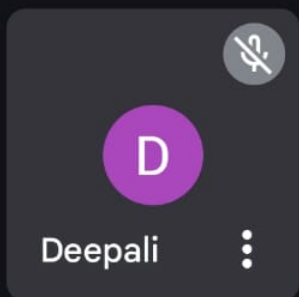
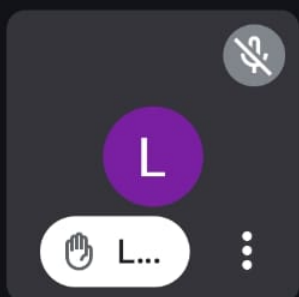
Old Position of remedies available to victims of Domestic Violence

Till the year 2005, the remedies available to a victim of Domestic Violence were limited. The women either had to go to civil court for a decree of divorce or initiate prosecution in criminal court under section 498A of IPC.

Click to add notes



xry-omet-vfs ▶



Trying to speak? Turn on your microphone.

